तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्र०सं०	39/2025 सुमेरसिंह v/s निखिल पोद्दार आदि	
06.11.25	**आदेश** यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध पीठासीन अधिकारी श्री निखिल पोद्दार, उपखण्ड अधिकारी सीकर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 142/2010 बउनवानी सुमेर सिंह बनाम मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी आदि को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में मुख्य कथन यह किया है कि प्रार्थिया के पति की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के विरुद्ध प्रस्तुत एक दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन् 2010 से विचाराधीन चल रहा है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त वाद का निर्णय पारित नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के बावजूद प्रार्थीया द्वारा उसे उपखण्ड अधिकारी सीकर के चैम्बर में प्रार्थीया द्वारा आते जाते देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीया को गांव में यह धमकी दी कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है आपका दावा खारिज कर दिया जावेगा। अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त धमकियों के कारण प्रार्थीया के मन में यह आशंका ही नहीं बल्कि पूर्ण अंदेशा भी हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी पर नाजायज रूप से दबाव बनाकर प्रार्थीया के खिलाफ निर्णय करवा लेगें। जिससे प्रार्थीया के हितों पर गंभीर कुठाराघात होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी उपरोक्त पत्रावली में बहस हो जाने के बावजूद पत्रावली आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी के उक्त रवैये से यह आशंका ही नहीं बल्कि पूर्ण अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीया के साथ न्याय नहीं किया जावेगा। प्रार्थीया को पूर्ण अंदेशा है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थीया के साथ न्याय नहीं करेंगें तथा प्रार्थीया के खिलाफ निर्णय पारित करेंगें। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष विचाराधीन दावा संख्या 142/2010 उनवानी सुमेरसिंह बनाम मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी आदि को किसी अन्य सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 142/2010 बउनवानी सुमेर सिंह बनाम मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी आदि किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के वर्तमान पीठासीन अधिकारी श्री निखिल पोद्दार के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 142/2010 बउनवानी सुमेर सिंह बनाम मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी	प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है Rahul (राहुल चौधरी) अप्रार्थी सं.02 Noted नरेश वकील प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्र० सं०	39/2025 सुमेर सिंह v/s निखिल पोद्दार आदि	

आदि से पैरावाइज टिप्पणी तलब करने पर उनके द्वारा जो पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की है, उसमें प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये समस्त आक्षेपों का खण्डन करते हुए आक्षेपों को मिथ्या, निराधार एवं मनगढंत बताया गया है। उन्होंने अपनी पैरावाईज टिप्पणी में अंकित किया है कि, उनके द्वारा पत्रावली में में नियमानुसार सुनवायी की जाकर विधि के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। परन्तु प्रार्थी को न्याय के प्रति शंका उत्पन्न हो गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की सहमति के आधार पर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने के कारण न्याय के प्रति विश्वास बना रहे, इसलिए ये न्यायालय प्रथम दृष्टया यही उचित समझता है कि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 142/2010 बउनवानी सुमेर सिंह बनाम मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी आदि को न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर के यहां अंतरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर उक्त पत्रावली प्रकरण संख्या 142/2010 बउनवानी सुमेर सिंह बनाम मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी आदि को न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर को सुनवाई हेतु भिजवाये।

उभयपक्ष के अधिवक्तागणों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण के निस्तारण में सकारात्मक सहयोग करेंगे। साथ ही उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वह प्रकरण में वास्ते अग्रिम कार्यवाही न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर के समक्ष दिनांक 02.12.2025 को उपस्थित हों। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर को निर्देश दिये जाते है कि पत्रावली उनके न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्षों को सुनकर विधिनुसार शीघ्र निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर